

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज - पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	श्रावण 14, मंगलवार, शाके 1930 – अगस्त 5, 2008 Sravana 14, Tuesday, Saka 1930 – August 5, 2008	



भाग 4(क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम |

विधि (विधायीप्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2) अधिसूचना

जयपुर अगस्त 5, 2008

संख्या प.2(39)विधि/2/2008- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 अगस्त, 2008 को प्राप्त हुई, एतद द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मों और चिकित्सा

परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और संपत्ति के नुकसान का निवारण)

अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 24)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 अगस्त, 2008 को प्राप्त हुई]

चिकित्सा परिचर्या सेवकर्मियों के विरुद्ध हिंसा और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओं में संपत्ति के नुकसान को प्रतिषिद्ध करने के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम।

यतः राज्य में चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मियों को क्षति या संकट कारित करने और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के हिंसात्मक कार्य होते रहे हैं जिससे राज्य में चिकित्सा परिचर्या व्यवसायियों में विश्वास उत्पन्न होने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवाओं में बाधा होती रही है;

और यतः उक्त अपराधों को संज्ञेय और अजमानतीय बनाकर ऐसे हिंसात्मक क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक हो गया है;

31(2) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 5, 2008 भाग 4(क)

अतः अब भारत गणराज्य के उनसठवे वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मों और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और संपत्ति के नुकसान का निवारण) अधिनियम, 2008 है।

(1) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(2) यह 4 जून, 2008 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(1) 'चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओं' से लोगो को चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराने वाली वे समस्त संस्थाएं अभिप्रेत है जो राज्य या केन्द्रीय सरकार या स्थानीय निकायों आदि के नियंत्रण के अधीन हैं, और उसमें सम्मिलित है रुग्ण व्यक्तियों के उपचार के लिए सुविधाएं रखने वाला और उन्हें प्रवेश देने या ठहराने के लिए प्रयुक्त कोई प्राइवेट अस्पताल, ऐसा प्राइवेट प्रसूति गृह जहां सामान्यतया महिलाओं को शिशु जन्म या उससे संसक्त किसी बात के संबंध में परिरोध और प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात कि परिचर्या के प्रयोजन के लिए प्रवेश दिया और ठहराया जाता है और किसी भी रुग्णता, क्षति या शैथिल्य, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, से पीड़ित व्यक्तियों को प्रवेश देने और ठहराने के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित प्राइवेट नर्सिंग होम जो उपचार या परिचर्या या दोनों उपलब्ध कराते हैं और उसमें कोई प्रसूति गृह या आरोग्य-गृह आदि सम्मिलित है।

(2) किसी चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था के संबंध में 'चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मियों' में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,-

(क) चिकित्सा परिचर्या संस्थाओं में कार्यरत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (जिसमें वे भी सम्मिलित हैं जिसका अनंतिम रजिस्ट्रीकरण हो गया है);

(ख) रजिस्ट्रीकृत नर्स;

(ग) चिकित्सा छात्र;

(घ) नर्सिंग छात्र; और

(ड) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओं में नियोजित और कार्यरत सह-चिकित्सा एवं अन्य सहकर्मी।

- (3) 'अपराधी' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो या तो स्वयं या व्यक्तियों के किसी समूह या संगठन के किसी सदस्य या मुखिया के रूप में इस अधिनियम के अधीन कोई हिंसा कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है या उसे करने के लिए उकसाता है।
- (4) 'हिंसा' से चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था में कर्तव्य का निर्वहन करने वाले किसी भी चिकित्सा परिचर्या कर्मी या रोगी को कोई अपहानि करने, क्षति कारित करने या उसके जीवन को संकटापन्न करने या उसको अभित्रास, अवरोध या प्रतिबाधा कारित करने वाले या चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था की संपत्ति को नुकसान करने वाले क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं।
3. **हिंसा का प्रतिषेध**—चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मियों के विरुद्ध हिंसा का या चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था में संपत्ति को कोई नुकसान कारित करने वाला कोई भी कृत्य इसके द्वारा प्रतिषिद्ध किया जाता है।
4. **शास्ति**— ऐसा कोई भी अपराधी जो धारा 3 के उल्लंघन में कोई भी कृत्य कारित करता है, तीन वर्ष की अवधि के कारावास और ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।
5. **अपराध का संज्ञान** - धारा 3 के अधीन कारित प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।
6. **संपत्ति को कारित नुकसान के लिए हानि की-वसूली**—
 - (1) धारा 4 में विनिर्दिष्ट दण्ड के साथ साथ अपराधी, अपराधी का विचारण कर रहे न्यायालय द्वारा यथा अवधारित क्षतिग्रस्त चिकित्सा उपस्करों के क्रय मूल्य और संपत्ति को कारित हानि की रकम के दुगुने की शास्ति का दायी होगा।
 - (2) यदि अपराधी ने उप - धारा (1) के अधीन शास्तिक रकम का संदाय नहीं किया है तो उक्त रकम राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के उपबंधों के अधीन ऐसे वसूल की जायेगी मानो यह उससे भू - राजस्व की बकाया के रूप में शोध्य थी।
7. **अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना**— इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न की उसके अल्पीकरण में।

- (3) **निरसन और व्यावृत्तियां-** (1) राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और संपत्ति के नुकसान का निवारण) अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
(2)- ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या आदेश इस अधिनियम के अधीन किए गये समझे जायेंगे।



एस. एस. कोठारी
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, August 5, 2008

No. F.2 (39) Vidhi /2/2008.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Chikitsa Paricharya Sevakarmi Aur Chikitsa Paricharya Seva Sanstha (Hinsa Aur Sampatti Ke Nuksan Ka Nivaran) Adhiniyam, 2008 (2008 Ka Adhiniyam Sankyank 24):-

(Authorized English Translation)

**THE RAJASTHAN MEDICARE SERVICE PERSONS
AND MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS
(PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE TO
PROPERTY) ACT, 2008
(Act No. 24 of 2008)**

[Received the assent of the Governor on the 3rd day of August, 2008]

An

Act

to prohibit violence against Medicare Service Persons and Damage to Property in Medicare Service Institutions and for matters connected there-with and incidental thereto

Whereas there have been acts of violence of causing injury or danger to life of Medicare Service Persons and damage to property of Medicare Service Institutions in the State creating unrest in Medicare Professionals resulting in hindrance of such service in the State;

And whereas, it has become necessary to prohibit such violent activities by making the offences as cognizable and non-bailable;

Now, therefore, be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Fifty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.-

(1) This Act may be called the Rajasthan Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2008.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall be deemed to have come into force on and from 4th June, 2008.

2. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise requires,-

(1) 'Medicare Service Institutions' means all institutions providing Medicare to people which are under the control of State or Central Government or Local Bodies etc., including any private hospital having facilities for treatment of the sick and used for their reception or stay; any private maternity home where women are usually received and accommodated for the purpose of confinement and ante-natal and post-natal care in connection with child birth or anything connected therewith; and any private nursing home used or intended to be used for the reception and accommodation of persons suffering any sickness, injury or infirmity whether of body or mind, and providing of treatment or nursing or both of

them and includes a maternity home or convalescent home, etc.

(2) 'Medicare Service Persons' in relation to a Medicare Service Institution, shall include,-

(a) Registered Medical Practitioners, working in Medicare Institutions (including those having provisional registration);

(b) Registered nurses;

(c) Medical Students;

(d) Nursing Students;

(e) Para Medical and other auxiliary workers employed and working in Medicare Service Institutions.

(3) 'Offender' means any person who either by himself or as a member or as a leader of a group of persons or organization commits or attempts to commit or abets or incites the commission of violence under this Act.

(4) 'Violence' means activities of causing any harm, injury or endangering the life or intimidation, obstruction or hindrance to any medicare service person in discharge of duty in the Medicare Service Institution or patient or damage to property in the Medicare Service Institution.

3. Prohibition of violence- Any act of violence against Medicare Service Persons or damage to property in a Medicare Service Institution is hereby prohibited.

4. Penalty- Any offender, who commits any act in contravention sanction 3, shall be punished with imprisonment for a period of three years and with fine, which may extend to fifty thousand rupees.

5. Cognizance of offence- Any offence committed under section 3, shall be cognizable and non bailable.

6. Recovery of loss of the damage caused to the property-

(1) In addition to the punishment specified in section 4, the offender shall be liable to a penalty of twice the amount of purchase price of medical equipments damaged and loss caused to the property as determined by the Court trying the offender.

(2) If the offender has not paid the penal amount under sub-section (1), the said sum shall be recovered under the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) as if it were an arrear of land revenue due from him.

7. Act not in derogation of any other law- The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law, for the time being in force.

8. Repeal and Savings-

(1) The Rajasthan Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Ordinance, 2008 (Ordinance No. 2 of 2008) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

एस एस कोठारी

Principal Secretary to the Government

Government Central Press, Jaipur.